

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण, राज्य में सामान्य निर्वाचन के बाद अष्टादश बिहार विधान सभा का गठन हुआ। गठन के उपरान्त इसके प्रथम सत्र की बैठक दिनांक 01 दिसंबर, 2025 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रही है। इस सत्र में कुल 05 (पाँच) बैठकें हुईं।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 01 दिसंबर, 2025 को अस्थायी अध्यक्ष द्वारा अष्टादश बिहार विधान सभा के लिए नव-निर्वाचित माननीय सदस्यों में से 236 माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया एवं दिनांक 02 दिसंबर, 2025 को 05 माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया। इसी दिन अष्टादश बिहार विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन भी हुआ।

दिनांक 03 दिसंबर, 2025 को माननीय राज्यपाल द्वारा सह-समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित किया गया। आसन द्वारा सदन नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार तथा नेता विरोधी दल के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम की घोषणा की गई। इस सत्र में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित दो अध्यादेश क्रमशः “बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2025” एवं “बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025” सदन पटल पर रखे गए। सभा सचिव द्वारा कुल 11 अनुमत विधेयकों का एक विवरण सदन पटल पर रखा गया। इसी दिन वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन एवं नियमावली की प्रति सदन पटल पर रखी गई। कुल 05 (पाँच) जननायकों के निधन पर उनके प्रति शोक व्यक्त किया गया।

इस सत्र में बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधान सभा के सदस्यों को मनोनीत करने हेतु अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को प्राधिकृत किया गया।

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को माननीय श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी को अष्टादश बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी दिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री राणा रणधीर द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत द्वारा किया गया। वाद-विवाद में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया और अंत में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा उत्तर दिया गया। तत्पश्चात धन्यवाद का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगें गिलोटीन (मुखबंद) के माध्यम से स्वीकृत हुई। तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ।

सत्र के दौरान बिहार विधान सभा के तीनों वित्तीय समितियों के वर्ष 2025-27 की शेष अवधि के गठन में सदस्यों के मनोनयन हेतु अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को प्राधिकृत किया गया।

इस सत्र में कुल 16 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 15 स्वीकृत हुए एवं 01 अस्वीकृत हुए। कुल 09 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 06 स्वीकृत एवं 03 अस्वीकृत हुई।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ-साथ पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से आप सबों को साधुवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपके सहयोग से ही इस सत्र का संचालन अपेक्षाकृत अधिक सफलता से हो पाया। आशा है कि आने वाले सत्र में भी पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा एवं हम सभी अधिकतम जनहित साधने में सफल होंगे।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस की बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों / कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन एवं निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

नव वर्ष के शुभागमन में मैं प्रदेश की जनता एवं आप सबों के उज्ज्वल भविष्य एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूँ।